न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

न्याय आपके द्वार राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट चांदमाकलां

शिविर प्रभारी अधिकारी : श्री सावन कुमार चायल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्याः 232/2006

दर्ज दिनांकः 20/10/2006

निर्णय दिनांक : 21/06/2017

पन्ना पुंत्र केसरा जाति माली निवासीः चान्दमांकला तहसील फागी, जिला जयपुर।

—— वादी

बनाम

1. सूरजकरण पुत्र मोहरू जाति माली निवासीः चान्दमाकलां, तहसील फागी, जिला जयपुर।
2. फूलचन्द पुत्र मोहरू जाति माली, निवासीः चान्दमाकलां, तहसील फागी, जिला जयपुर।
3. हनुमान पुत्र मोहरू जाति माली, निवासीः चान्दमाकलां, तहसील फागी, जिला जयपुर।

——प्रतिवादीगण

वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः

श्री सुरेन्द्र शर्मा एडवोकेट
श्री रवि कुमार जैन एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता वादी
श्री सीताराम सैनी एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांकः 21/06/2017

—: निर्णय :—

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया कि आराजी

खसरा नंबर 389 रकबा 12 बिस्वा, 390 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा, 391 रकबा 8 बिस्वा, 392 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, 393 रकबा 10 बिस्वा, 394 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, 396 रकबा 2 बिस्वा, 398 रकबा 3 बिस्वा, 400 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा, 727 रकबा 9 बिस्वा, 728 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, 742 रकबा 1 बिस्वा, 744 रकबा 8 बीघा 11 बिस्वा, 801 रकबा 13 बिस्वा, 1559 रकबा 8 बीघा 17 बिस्वा, 2309/1 रकबा 14 बीघा 13 बिस्वा, 2309/2 रकबा 30 बीघा कुल किता 17 रकबा 76 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम चांदमाकलां तहसील फागी में स्थित है। आराजीयात पूर्व में सुवा पुत्र छोटू, कोम माली के नाम थी। सुवालाल का निर्वसियत निधन हो गया है उसके कोई पुत्र या पुत्री नहीं है। सुवा पुत्र छोटू का निधन अजमेर में हो गया है, वह अजमेर में ही रहता था। उसकी विवादित आराजीयता ग्राम चांदमाकला में थी। सुवा के कोई पुत्र या पुत्री नहीं था। उसके निधन के पश्चात ग्राम पंचायत चांदमाकलां ने जरिये नामान्तकरण संख्या 1861 दिनांक 21.6.06 के द्वारा वादी व अन्य व्यक्तियो के पक्ष में नामान्तकरण तस्दीक कर दिया गया। सुवा के निधन के पश्चात वादी विवादित आराजीयात के खातेदार काश्तकार हो गये एवं कब्जा वादी का र्निविवाद रूप से चला आ रहा है यद्यपि उपरोक्त वर्णित आराजीयात में सुवा का पन्ना ही एक मात्र वारिस है। विवादित आराजीयात के वादी के हिस्सेशुदा आराजीयात के प्रतिवादी व अन्य दीगर व्यक्ति का किसी तरह का संबंध व सरोकार नहीं है। प्रतिवादीगण का विवादित आराजीयात से कोई संबंध नहीं है यद्यपि नामान्तकरण प्रक्रिया में उसका हिस्सा अवश्य दर्ज है। प्रतिवादीगण ने तथाकथित रूप से मृतक सुवा की वसीयत फर्जी तरीके से बना ली है उक्त वसीयत पूर्णतया फर्जी है। सुवा के हस्ताक्षर भी फर्जी है समस्त वसीयत संबंधी कार्यवाही फर्जी व निराधार है। प्रतिवादीगण को उक्त फर्जी वसीयत के आधार पर किसी भी तरह के विधिक अधिकार नहीं उत्पन्न होते है। प्रतिवादी की फर्जी वसीयत संबंधी कार्यवाही बाबत वादी पृथक से आपराधिक कार्यवाही अमल में लाने जा रहा है। तथाकथित फर्जी वसीयल से प्रतिवादीयदि कोई विधिक अधिकार चाहते है तो सक्षम न्यायालय से प्रोबेट लावे। उत्तराधिकार संबंधी विवाद तय करावे वसीयत की जब तक विधि सम्मत जांच प्रक्रिया सम्पूर्ण नहीं हो जाती है प्रतिवादीगण को किसी भी तरह के विधिक अधिकार उत्पन्न नहीं होते है।

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

प्रतिवादी सूरजकरण, फूलचन्द, हनुमान के पिता का नाम मोहरू था मोहरू, श्योराम के गोद चला गया तथा श्योराम की समस्त आराजीयात का नामान्तकरण मोहरू के नाम खुला हुआ है। राजस्व अभिलेखो से भी उक्त तथ्यो की पूर्णतया पुष्टि होती है तथा जमाबंदीया वाद पत्र के साथ प्रस्तुत की जा रही है। पन्ना ही एकमात्र विवादित आराजीयात का मालिक है क्योकि सुवा का निधन हो गया है तथा मोहरू, श्योराम को गोद चला गया है। इस प्रकार प्रतिवादीगण सूरजकरण, फूलचन्द व हनुमान का विवादित आराजीयात से कोई संबंध व सरोकार नहीं है। वादी अपने नियमानुसार हिस्से का उपयोग व उपभोग करता आ रहा हैं प्रतिवादीगण वादी से जातीय द्वेषता रखते है तथाकथित फर्जी वसीयत के आधर पर वादी को उसके विधिक अधिकारो के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न करने की कुचेष्टा करते रहते है। प्रतिवादीगण के नाजायज कृत्यो से वादी आये दिन परेशान रहता है। प्रतिवादीगण के पास धन बल व भुजबल का सहारा है वे किसी भी तरीके से वादी को हैरान करने में सक्षम है। पन्ना सुवा की आराजीयात में घोषणा के अधिकार सुरक्षित रखते हुए यह वाद स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रेम पुत्री केसरा, रामप्यारी पुत्री केसरा व छोटी बेवा केसरा के नाम भी आराजीयात का अंकन राजस्व अभिलेख में आया है परन्तु संपूर्ण हिस्से पर कब्जा पन्ना का ही है तथा वही एकमात्र काश्तकर्ता है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्थाई निषेधाज्ञा का है। प्रतिवादीगण ने जब भी कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश की व समाज के मौजिज प्रतिष्ठित व्यक्तियो ने समझाया परन्तु प्रतिवादीगण नाजायज तरीके से वादी को उससे कब्जेशुदा आराजीयात से बेदखल करना चाहते है पुलिस के पाबंद किये जाने के पश्चात् भी प्रतिवादीगण के हौसले बुलन्द है अपने खातेदारी अधिकारो की रक्षा वादी को वाद प्रस्तुत करना लाजमी है। कल दिनांक 18.10.2006 को वादी जब अपने विवादित आराजीयात पर फसल की देखभाल करने व काश्त करने गया तो प्रतिवादीगण [illegible] के साथ मौके पर मौजूद आये एवं आते ही वादी को ऐलानिया धमकी दी कि खेती छोडकर भाग जाओ वरना हम बेदखल कर देगे हमारे पास बहुत बडा सिक्का है हम किसी की परवाह नहीं करते है। प्रतिवादी की धमकी से वादी काफी डर गया वादी शांतिप्रिय व्यक्ति है। अपने हितो की रक्षा वादी मान्य न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर रहा है।

उपखण्ड अधिकारी, फागी जिला-जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

वादी ने दावा के अन्य बिन्दुओ के साथ वाद कारण अंकित कर अनुतोष चाहा है कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे वादी के विवादित आराजीयात में कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करे नही किसी दीगर व्यक्ति से करावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। दिनांक 18.05.2007 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की ओर से श्री सीताराम सैनी एडवोकेट ने वकालतनामा प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 03.08.2017 को वकील प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली कैम्प कोर्ट में प्रस्तुत हुई। वकील वादी व प्रतिवादी उप0। वकील प्रतिवादी ने वादी की खातेदारी की हद तक प्रतिवादी को पाबंद किये ज़ाने पर वाद को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति जाहिर की।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध फोटाप्रति जमाबंदी, जवाबदावा इत्यादि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह पाया गया कि वादग्रस्त आराजीयात का नामान्तकरण वादी व प्रतिवादीगण के नाम खुला हुआ है।

वादी ने वाद प्रस्तुत कर प्रतिवादी द्वारा वादग्रस्त आराजीयात की फर्जी वसीयत अपने नाम करवाकर गैर कानूनी तरीके से नामान्तकरण अपने नाम खुलवाने एव आराजीयात पर केवल मात्र वादी का कब्जा एवं खातेदारी हक होने का कथन कर प्रतिवादीगण को वादग्रस्त आराजीयात बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाना चाहा है। वकील प्रतिवादी ने वादग्रस्त आराजीयात में वादी के हिस्से तक प्रतिवादी को पाबंद किये जाने पर वादी को वाद को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति जाहिर की है। इस कारण न्यायहित में वादी का वाद आंशिक स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद आंशिक स्वीकार कर डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे खसरा नंबर 389 रकबा 12 बिस्वा, 390 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा, 391

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

रकबा 8 बिस्वा, 392 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, 393 रकबा 10 बिस्वा, 394 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, 396 रकबा 2 बिस्वा, 398 रकबा 3 बिस्वा, 400 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा, 727 रकबा 9 बिस्वा, 728 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, 742 रकबा 1 बिस्वा, 744 रकबा 8 बीघा 11 बिस्वा, 801 रकबा 13 बिस्वा, 1559 रकबा 8 बीघा 17 बिस्वा, 2309/1 रकबा 14 बीघा 13 बिस्वा, 2309/2 रकबा 30 बीघा कुल किता 17 रकबा 76 बीघा 13 बिस्वा ग्राम चांदमाकलां, तहसील फागी, जिला जयपुर में वादी के खातेदारी के हिस्से की आराजीयात में वादी के कब्जेकाश्त में बाधा उत्पन्न न स्वयं करे, न किसी अन्य से करावे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 21/06/2017 को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट चांदमाकलां में सुनाया गया।

मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी
फागी

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत–उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

बइजलास–सावन कुमार चायल (आर.ए.एस.)

उनवान

पन्ना

बनाम

सूरजकरण व अन्य

::– वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा ::–

मुकदमा नं0 – 232/2006

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादी हाजिरी रूबरू प्रतिवादी मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद आंशिक स्वीकार कर डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे खसरा नंबर 389 रकबा 12 बिस्वा, 390 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा, 391 रकबा 8 बिस्वा, 392 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, 393 रकबा 10 बिस्वा, 394 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, 396 रकबा 2 बिस्वा, 398 रकबा 3 बिस्वा, 400 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा, 727 रकबा 9 बिस्वा, 728 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, 742 रकबा 1 बिस्वा, 744 रकबा 8 बीघा 11 बिस्वा, 801 रकबा 13 बिस्वा, 1559 रकबा 8 बीघा 17 बिस्वा, 2309/1 रकबा 14 बीघा 13 बिस्वा, 2309/2 रकबा 30 बीघा कुल किता 17 रकबा 76 बीघा 13 बिस्वा ग्राम चांदमाकलां, तहसील फागी, जिला जयपुर में वादी के खातेदारी के हिस्से की आराजीयात में वादी के कब्जेकाश्त में बाधा उत्पन्न न स्वयं करे, न किसी अन्य से करावे।

निज.......X.........मुबलिग.......................X.........................बाबत......................X.................................... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह.......................X...........................फीसदी............सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.......X........का अदा करे।

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी, फागी, जिला-जयपुर)

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 21/06/2017 को जारी की गई।

दस्तखत................ (हस्ताक्षर)

ओहदा........ उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

मुहर

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	— nil —		फीस कमीश्नर	— nil —	
फीस कमीश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी
फागी

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)